सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 60 / 2017 अपील (RCMS-00072/2014)
पंजीयन दिनांक — 24.12.2014
निर्णय दिनांक — 14.05.2018

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्र श्री नाथुलाल जोशी पत्नि श्री विष्णुलाल पानेरी, निवासी दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर।
2. श्रीमती संध्या देवी पुत्री विष्णुलाल, निवासी दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर।
3. श्री प्रकाश चन्द्र पिता नाथुलाल जोशी, निवासी देवगढ़, हाल दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री बुधाराम पिता गिरधारीराम जी चौधरी, निवासी उदयपुर।
2. श्रीमती भोली देवी बेवा राम गोपाल चौधरी, निवासी अशोक नगर, उदयपुर।
3. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री कन्हैयालाल चौंडिया — वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोंडेन्ट—3

अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक नियमन / नविप्र / 2009 / 357 से 360 दिनांक 17.08.2009

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक नियमन / नविप्र / 2009 / 357 से 360 दिनांक 17.08.2009 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शहर, उदयपुर में आराजी संख्या 479 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि श्री बुधराम, श्री भोली देवी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, श्रीमती संध्या देवी, श्री प्रकाशचन्द जोशी एवं श्रीमती चंद्रकान्ता जोशी के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज थी। खातेदार ने उक्त भूमि धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत समर्पण/नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आवेदन किया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही उपरान्त धारा 90 बी के अन्तर्गत अपीलाधीन पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 17.08.2009 पारित किया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश के अन्तर्गत अपीलान्ट की भूमि आराजी संख्या 479 में रोड़ दर्शाकर रेस्पोडेंटस् को भू–रूपान्तरकरण का आदेश प्रदान किया गया जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 उपस्थित। वकील अपीलान्ट को लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील अपीलान्ट की लिखित बहस अप्राप्त। वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 की एकतरफा बहस दिनांक 30.04.2018 को सूनी गई।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अपीलान्ट्स खातेदार काश्तकार है जिनके जीविकोपार्जन का साधन एक मात्र यही भूमि है क्योंकि उक्त भूमि में अपीलान्ट्स की मंगलम वाटिका संचालित होती है। अपीलान्ट् की भूमि में जबरन कोई पक्षकार अपने हितों के लिये रोड़ नहीं बना सकता है, न किसी न्यायालय को अधिकार है कि अपीलान्टस् की भूमि में रोड़ बनाकर रेस्पोडेंटस् को भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें इस प्रकार की अपील किये जाने की कोई मयाद नहीं हो सकती है क्योंकि अपीलान्ट्स की भूमि के लिए रेस्पोडेंट्स ने फर्जी तरीके से बिना अपीलान्ट्स को सूचना दिये, बिना अपीलान्ट्स की भूमि में गुप्त रूप से अपीलान्ट्स के परोक्ष 25 फीट की सड़क बनाये जाने हेतु आदेश प्रदान किया गया है। अपीलान्ट्स की लाखों रूपयों की भूमि को सड़क में बिना किसी मुआवजा देकर, बिना किसी अधिकार के मिला ली ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय को प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावें। उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है

रेस्पोडेंटस्–3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसार दर्ज खातेदारों द्वारा 90–बी की कार्यवाही चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आदेश जारी करने से पूर्व खातेदारों से आपत्तियॉ चाही गयी

परन्तु किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसे विधि अनुकूल होना बताते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 479 के संबंध में धारा 90–बी के आदेश दिनांक 17.08.2009 को पारित किये गये। रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व अखबार में आपत्तियॉ आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार एवं विधि सम्मत आदेश जारी किया गया। आदेश खातेदारों/भूखण्डधारियों के द्वारा प्रस्तुत सर्मपण पत्र, ले–आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास का आदेश दिनांक 17.08.2009 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर